सं. 19051/03/2013-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

****

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 30 दिन से अधिक की अनुपस्थिति के दौरान नर्सिंग भत्ते की स्वीकार्यता।

इस विभाग में ऐसे अनेक संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न अस्पतालों और संस्थाओं में कार्यरत नर्सिंग कार्मिक के लिए छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे आदि के कारण पूरे कैलेंडर माह (महीनों) की अनुपस्थिति के दौरान नर्सिंग भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

2. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि छुट्टी, प्रशिक्षण, दौरे आदि के कारण 30 दिन से अधिक की अनुपस्थिति के दौरान नर्सिंग कार्मिकों के लिए नर्सिंग भत्ता स्वीकार्य होगा। तथापि, छुट्टी की ऐसी अवधि अधिकतम 60 दिनों तक सीमित होगी। 60 दिन से अधिक की छुट्टी/अनुपस्थिति की स्थिति में नर्सिंग भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

3. इसे सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार) जिनके पास केन्द्र सरकार की पद्धति में सम्मिलित नर्सिंग कार्मिक है।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।